[Shri Ihillai Vfflaian]

when fixed. Il is obvious that we cannot maintain our democracy based on the rule of law without an adequately paid and efficient judicial)."

Madam, by these remarks of Mr. Mukherjee and Mr. Scialvad, the present picture of the conditions of the judges is painted clearly. 1 would like to submit that I have brought forward ibis Bill only to highlight the present condition of the judges regarding their salarv, their allowances, pensions and the guidelines to appoint judges, as a whole the present condition of the judiciary. I think I have succeeded in my bumble attempt by bringing forward this Bill.

lastly, I would submit ihat if-the hon. Minister of Law assures that a comprehensive Bill will be brought forward by the Government to make the position of the judges better by increasing their Salary and by changing their service conditions, 1 am prepared to withdraw ihis Bill with the permission of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKOPADHYAY): Do you wish to say anything?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY All AIRS (SHRI NITI RAJ SINGH CHOUDHURY) : 1 have already made my submission. I have nothing else to add.

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Thillni Villalan. shall 1 take ii that you are withdrawing your Bill?

SHRI THLLAI VILLALAN: I want the Minister to assure the House that a comprehensive Bill will be brought forward in the near future about the salary, allowances, pension and service conditions of the judges,

SHRI NITI RAJ SINGH CHOUDHURY : The Bill as it is seeks to amend article 220 of the Constitution. The question of salary, etc. is not covered by that. I have already made my submission, and I have nothing more to add.

(III. VICT. -CHAIRMAN SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) ; Ave you u i lull awing the Bill?

SHRl 1 1111.1 Ai VILLALAN : Yes. *l In*

Bill was by leave, withdrawn

II IE PROHIBITION OF BIGAMOUS MARRIAGES BILL, 11*70

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (Wesl Bengal): Madam, 1 beg to move:

"Thai the Bill to pioliibit bigamous marriages in India be taken into consideration."

The statement of Objects and reasons makes my purpose very clear. Polygamy is a social evil and should lie ruthlessly suppressed. The Hindu Marriage Act, 11*55. has made bigamous marriages void and bigamy a punishable offence. But polygamy is practised by the people of several other communities in India. This discrimination should go and polygamy should be prohibited for all. The Bill seeks to achieve ibis object,

I do not claim myself as one who is vci\ conversant with ihe Koran or the Shariat. I have great respect for every religious authority, whether ii is of the Muslims or Ihe Hindus or the Christians or any other. So, with due respect to the sentiments of any Muslim friends and wiih all respect to the teachings and sayings of the Prophet, 1 uould submit ihat the time has come when because of the changed conditions and outlook, there should be a rethinking by the Muslim community. We, all non-Muslims and the Government in particular belong to a secular State. When we talk of secularism, we should not be guided by any theocratical ideas, not absolutely two marriages.

In the Hindu society also there was a time when more ihan one marriage was considered as virtuous. Madam Vice-Chah nan. ;.on belong to a State where \ou niusl nave seen or known that the so-called Kulin Brahmins used to marry more than a hundred women. Now, ihat

did not debar our Government from codifying the marriage restricting it io one. Because we belong to a liberal community so you have a right to interfere with our personal law. But you do not have that right in the case of persons of the minority community.

Madam Vice-Chairman, minorities are assured protection, Bui there are minorities among minorities who should be shown better consideration. The weakei sect among the minorities, namely, the women should be properly respected in the matter of marriage. ! do not say El I a moment that all the Muslims have more than one wife. No, vcrv lew have more than one wife. Then why should we not tale these few unfortunate women into consideration? Why should we not take steps to remove this stigma from the face of the minority community? I am (oust ions of the fact what even according to the Koran or the Iladis the conditions for more than one marriage are prescribed. A Muslim man can marry a second wife only with the consent of the first wife if the wife has lost capacity of child bearing, if she is of ill health. But these considerations are not observed always. So far as the Koran and the Hadis are concerned they are not in conflict with what 1 say. But what I say is that in the name ol the holy Koran or the Iladis there arc[1] people who indulge in marrying more than one wife. No consent is required, rather they are gagged. I In- question of consent is not allowed. I hen. who judges the question ol child bearing capacity and who consider the question of ill health? So if the provisions laid down in the Koran or the Kadis were duh observed, this question would not have been raised, this question would have been resented. But facts are there and the Ministers from time to lime gave assurance to the House, both in the l.ok Sabha and the Rajva Sabha that they will consider ibis matter, that they will appoint a Commission to go into this matter but nothing has been done. So I felt that there was reason For harping on the same matter over and over again.

Madam Vice-Chairman. there are certain misconceptions anion; M the persons in the Government. And their consideration i more political than ethical. And the political consideration is this, that possibly the Muslim community will not favour the idea of banning polygamy- But I am hen to give statistics that in Muslim countries like Turkey and Tunisia, for example, polygamy has been banned totally. Even in countries like Syria and Egypt, the combined effect of the Holy lav and the legislation has made plural H increasingly difficult.

Madam Vice-Chairman, 1 have prepared . fong Its) of countries io show that even in countries where Muslims are in an overwhelming majority, already restric-tive laws have been codified. As I have already said, in turkey and Tunisia, polygant) has been totally banned. In other Muslim majority countries, it has been very much restricted. The Minister ma) take note of these things, I am only mentioning those countries which are Muslim majorii\ countries and where this has been restricted. There might be Muslim minority countries also where ii lias been restricted, QUI 1 ;ini noi mentioning them because this argument may be given that because Muslims are a minorii) there, so ii lias been done. But I am going to show thai even when Muslims are a majority, the; themselves have done it. They are not suddenly ignorant of the provisions of Koran and iladis. Knowing the provisions of Koran and Hadis. they have done ii. Why do you hesitate? You hesitate for political reasons, not for moral or ethical reasons. Albania is a Muslim majority state where the personal law has been replaced by a common civil code. In Algeria where the Muslims are in an overwhelming majority, it is partly IC-formed. In Brunei, a Muslim niajortiy country, it is subject to regulatory legis-lation. In Egypt, where there is an overwhelming majority of Muslims, it is parti; reformed and codified. In Iraq, where Muslims are in an overwhelming majority, it is partly reformed and codified. In Iran, where Muslims are in an overwhelming majority, it is partly re-Bed and codified. In Jordan, which is a Muslim majority Slate, it is partly re-formed and codified. In Lebanon, where Muslims are in a majority, it is partly reformed. In Libya, which has an over-

[Shri Dwijendralal Sen Gupta] whelming majority of muslims, codification is under contemplation. In Malaysia, where Muslims ate very much in a majority, it. is subject to regulatory legislation. In Morocco, where the Muslims have an over whelming majority, the personal law is reformed and codified. In Pakistan, it is partly reformed. I may tell son that in 1961, there was an Ordinance under which these marriages were regulated. in the Soviet L'ninii Mm .lie very much with the Soviet Union now—the Muslins are a strong minority. There the personal law has been replaced by a common civil code. I hcv did not hesitate. They did not think that Iheie would be loss of vote it the personal law was reformed. I l.i went b\ some ethics. In Tan-zania—majority in Zanzibar and minority in Tanganyika—the Muslim marriage law has been replaced *b* a common enactment.

Madam Vice-Chairman, I would like the House to lake note of certain facts. I his is not the first time that this question has come up before Parliament for discussion. On 5th of May, 1970, the Starred Question No. 1413 in the Lok Sabha was like this: (a) The reasons for making am reforms in the Muslim Personal Law: (b) whether it is a fact thai most of the Muslim ladies favour civil code and it is opposed by some vested interests: and (c) whether Government proposes to make a survey of it. Mr. Govinda Menon. the then law Minister, was replying to 11)is: "The suggestion was that there should be a Commission appointed b\ the Government with Mr. Justice HidayathuUah as the Chairman to go into the question." Mr. HidayatuHab himself was an eminent judge and he was a Muslim himself, and let him go into the question." Mr. Govinda Menon was further saving: " 1 he hon. Member lias made ;> good suggestion. I will accept it."

I lien. Mr. Govinda Menon came back to amend his answer, and it was recorded in tin lok Sabha proceedings of May L'!. 1970. Mi. Govinda Menon savs: "Mi. Speaker, sir, while answering supple-ineiilaiics to starred question No. Ill" on May, 1 made a suggestion to constitute a Commission on behalf ol the Government to consider reforms in the Muslim Persona] Law which Mr. Justice HidayathuUah, Chid Justice ol India, as Chairman, I made the remark, in reply, thai the hon. Member has made a good sug-gestion. The words "1 will accept it" appearing there in the proceedings of the day should read 'I uould examine it." I his is further clarified. First lie says, "1 w ill accepl it", then he says, "I will examine it." The matter has neither been accepted nor examined since then.

il.ul.mi \ i< e-< iiaii man, the matter came up again in Lok Sabha on July 28. li was Unstarred Question No. 310. 1 lien the Minister was Mr. Jagannath Rao. rhere are three parts to the question. Pan (c) is relevant. It says: Steps proposed in be taken in the matter at the lime and whether am decision can he expected in respect of common civil code. Mr. Jagannath Rao says: "Suggestions received from time to lime for enactment of a common ci\il code have been considered. As there is no uniformity of views in the matter among the different sections ol the society, the Government do not propose to take any action for the present." So, the words "for the present" were used in 1970. We are now talking of 1973, and lime has passed by three years. 1 hen. the same question came up again in the Lok Sabha on March II. li was Starred Question No. 28 In Mi. Chintaniani I'anigrahi. He belongs to the Congress. The question was, "whether the Maharashtra Stale Muslim Women's Conference held at Poona 'nuaiils the end of December, 1971, demanded uniform civil code and, if so, h reaction of the Government thereto." The answer is ver] important. Shri Niti Raj Singh Chaiidiiun was present here. 1 lie answer was given by him. We have considered what Mr. Govinda Menon said. We have considered what Mr. Jagannath Rao said. Now we are considering what Mr. Niti Raj Singh Chau-dliury said. lie said: 'It appears from certain press reports that at the confer-ence of Muslim women held inwards the end of December 1971 a demand was made *inter alia* [or lite enactment of a uniform civil (ode. N.. such proposal is ai present under consideration of the Government." The earlier replj was in 197;). \IHI now in reply to this question this is what he said At present ii

is not there." This is from I ok Sabha proceedings. Now lei us lake the proceedings of this House. On 18th June 1971 the Prohibition of Bigamous Marriages Bill of 101)7 of Shri Sri Rama Reddy was taken up lor consideration. And at that time Mr. Gohale replied to the debate on 26th November 1971 wherein he said: "I must at the same time make il clear that il is only theoretical because there were noted Muslim Jurists like Mr. Abdul Rabeem who spoke on the principles of Mohammadan jurisprudence which was part *of* Tagore law Lecture Series here in India and who said the Mohamirailan law undoubtedly contemplates nionogaim as an ideal to be aimed at." Then, further on he says we can take it as his commitment before the House. He said: "We are aware of thai fact............" 'We' means the Government—"...that we have also to play, a role in building up an opinion in the minority community itself. The Government does not want to disclaim thai responsibility, The Government will, at the proper lime. lake measures, elicit opinion from the mino-iit\ lo build up an opinion in favour of a progressive change in the Muslim I aw affecting the personal law of the Muslims." So, you will try lo build up an opinion in favour of a progressive change. So that is admitted and you will try lo do it. Then what has been the position? What has been done? Simply nothing has been done. When nothing-has been done, we feel that there should he a serious rethinking once again on the matter. Mr. Niti Raj Singh Chaudhury him self admitted that there was a resolution passed bv the Muslim women in a con ference in Maharashtra ....

AX HON. MEMBER : At Poona,

MIRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: l'oona is pari of Maharashtra. I believe. He admitted that there was a resolution by the Muslim women in a conference in Maharashtra where they supported or claimed prohibition of bigamous marri ages. The Government sa\s we do not like io interfere in their personal law. 1 el them evolve their own law. 1 el there be sufficient consciousness in l hem. I want io know what the standard of thai consciousness is. what will satish the , Government as 'consciousness'. Will the Government go in for a referendum? Arc they prepared to circulate this Bill? I am nor going to press this Bill. Mm let them circulate this Bill. Let them elicit public opinion. If the Muslims, the majority *at* the Muslims, -m "No", I shall most gladly withdraw this Bill. I am not here to impose my views or the views ol the Hindu majority or the views of any non-Muslim majority upon the Muslims. But you have not so far tried to ascertain the reactions of the Muslims on this aspect. You have b\ Chal allowed the Mullas and other fana tics to take advantage of the illiteracy and ignorance and other vices in the common masses and prevail upon them for which i his Government is responsible. How do MIII expect the Muslim women, who even toda; near purdahs and cannot show their faces to the male members ac-cording to Quaran or Sheriat, to take part in a demonstration of setting lire to the trains, pos offices and other public properties? li is only education that leads to the concept of demonstration and demonstration often becomes violent. That cannot i><. expected from weaker sections of this minority community, namely, Muslim women who are always guided and dominated Ir. the opinion of the Muslim males who oppress them at limes. This is not a quarrel between myself and my Muslim friend. It is a quarrel between tile vested interests in the form of Muslim males and their oppressed women whose cause I want to champion. I want to give them a status and I want to raise the status of Muslim women who are ignorant and uneducated? What can you espeel from those who are uneducated ir. any society? Those who are educated can lake care of themselves. "But think ol those who are not educated. Even in the Hindu society, what is their position? We talk of women's liberty and women's freedom and all thai. How do you ensure them when lhe\ are economically MI;, much dependent and culturally and educationally backward? In our country illiterate persons are very poor and they arc poorer still among the so called backward classes. I do not want to condemn them. 1 have a cause to fight for i lie down-trodden, the oppressed and the suppressed. You talk about the de-

j [Shri Dwijendrala] Sen Gupta]

pressed people, the suppressed people and t he oppressed people. Don't you see that sense of oppression and si'411 of suppression in the system that prevails now? If Mm do noi see ii. I want 10 rouse your consciousness. Government some-times say : "We accept the proposal to have a commission under Hidayatullah". Sometimes you say: "We "ill examine ii". On some occasions you say: "We are not going to do it" or "We have no suet) proposal". No long will ihis thing con-tinue:- What is your standard of secularism.- I want to know if your standrad of secularism is only in respect of a particular community. If you want 10 give a meaning to your secularism, then you must act accordingly. Hut you have not acted and that is my grievance. I am sure the House will support me.

In the end I only waul to quote Mr. Ay uh Khan. who as the President of Pakistan, wrote, in his hook FRIF.NDS NOT WASTERS, thus:

> "A Muslim is allowed by Islam to have more than one wife under cer tain conditions and this permission has been used to practise indiscriminate polygamy causing immense misery. Innumerable women, tongue-tied women and innocent children of thuosands of families have been ruined because or the degenerate manner in which the males have misused Ihis permission to suit their convenience/'

I have no better authority 10 quote from. Mr. Ayub Khan was the President of Pakistan and Pakistan is much more an Islamic State than ours though, of course we are trying 10 compete with them in that wax also to show that we are more Islamic than the Islamic States themselves. Rut this is the picture that has been given by Mr. Ayub Khan himself. Thank you.

The question u-as proposed.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : उपसभानेत्री जी, जो माननीय महोदय ने आज हमारी संसद के क्षितिज में एक बड़ा अहम् सवाल सदन के सामने रखा, स्त्री जाति की आजादी का सवाल हमारे सामने रखा, उसका मैं स्वागत करती हूं। इस प्रकार का एक कानून कई वर्षों पहले हमारे यहां पास हो गया था। उसके अनुसार दो शादियां करना रोक दिया गया था। आज से कुछ वर्षों पहले हमारे देश में और खास करके उत्तरी भारत में बहु-विवाह की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। खास कर जिस राज्य से मैं आती हूं, राजस्थान में इसका प्रचलन बहुत था। 5, 6 या 7 शादियां करना एक आम बात मानी जाती थी। एक कानून के द्वारा उसे बन्द कर दिया गया। लेकिन फिर भी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस कानून के बन जाने के बाद भी आज भी कई-कई शादियां प्रचलन में हैं। खास करके गांवों में अब भी दो-दो, तीन-तीन शादियां लोग करते हैं। जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनमें भी बहु-विवाह वैसे ही चला आ रहा है जैसे कि पहले चला आता था। बल्कि मैं तो अफसोस के साथ कहूंगी कि इस कानून के बनने के बाद भी अभी हमारे कुछ स्टेट हैं, हिमालय की तरफ का कुछ इलाका ऐसा है, जहां पोलिगैमी के साथ-साथ पोलेंड्री भी चलती है। वहां पर बहु-पत्नीत्व के साथ-साथ बहु-पतित्व भी चलता है। जहां-जहां भी कोई सभ्य सरकार है, सभ्य मुल्क है उसने इस तरह के कानून बनाये कि जिससे बहु-पतीत्व को बन्द किया और वाकई में यह बन्द होना चाहिए।

महोदय ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि हमारे यहां एक तबका है, जिसके अन्दर कानून के द्वारा कोई रोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। आपका कहना मैं सच मानती हूं और आपने जो दलीलें रखीं उनकी मैं ताईद करती हूं। एक औरत की नजर से मैं

यह कह सकती हूं कि इसको रोकने की बहुत ही अत्यन्त आवश्यकता है। एक घर में तीन-तीन, चार-चार पत्नियां या सौतों का साथ रहना समाज के जीवन के लिए, उस गृहस्थ के लिए, उस कुटुम्ब के लिए इससे बढ़ कर कोई अभिशाप नहीं हो सकता। मुझे याद आता है, शायद आप लोगों ने भी कालीदास की रचनायें पढ़ी होंगी, उनमें एक श्लोक है। जब पार्वती का विवाह होता है तो उसको आशीर्वाद में 'अखंडितम् प्रेम लभस्य पत्यः' कहा जाता है और इस आशीर्वाद को सारे साहित्य में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। इस आशीर्वाद का मतलब होता है कि तुम्हें पति का अखंडित प्रेम मिले।

इसका यह अर्थ होता है। तो बेटी को जाने पर जो शुभ आशीर्वाद दिया जाता जाता है उसमें यह चीज कही जाती है 'अखंडितम् प्रेम'। लेकिन जहां इतनी शादियां होती हैं, उन स्त्रियों के ऊपर किस तरह का एक वजन रहता है, उनको घर में रहते हुए कैसे नारकीय जीवन में से गुजरना पड़ता है, यह केवल एक कल्पना की चीज है। मुझे अफसोस है कि आज भी एक ऐसा तबका है जो इस तरह की कई शादियों की हिमायत करता है। अपने धर्म का एक अंग इस चीज को मानता है।

मैं कहूंगी कि इस तबके के जो लीडर हैं, इस तबके जो के नेतागण हैं उनको सामने आना चाहिये और उन्हें इस तरह की एक मांग रखनी चाहिये कि इस तरह का कानून उनके यहां भी लागू किया जाय। आज से कुछ वर्ष पहले हमारे तबके के जो लीडर थे, उन्होंने दबाव डाला कि इस प्रकार का कानून पास किया जाय। उसी तरह से जो ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं उनको आगे आना चाहिये।

यह मैं जानता हूं कि आज पब्लिक ओपिनीयन क्या है। मुझे मुस्लिम महिलाओं से मिलने का मौका मिला है। उन महिलाओं का भी कहना है कि इस तरह का एक कानून आना चाहिये। जब कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका विवाह केवल एक पत्नी से होता है, तो फिर उसी देश में एक तबके के अन्दर उसी प्रकार की शिक्षा पाये हुये एक वर्ग में एक घर के अन्दर कई पत्नियों का होना वाकई में अभिशाप की चीज है। सबसे बेहतर यह है कि यह जो तबका है इसके नेता आगे आयें। हमारे देश में एक सोशल सिस्टम है। इसमें शरैयत या धर्म का सवाल नहीं है। शरैयत में और पुराने धर्मों में एक नहीं, अनेक बातें कही गई हैं। शरैयत में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके हाथ काट डाले जायें। यदि आज कोई चोरी करेगा तो क्या शरैयत के अनुसार उसके हाथ काट डाले जायेंगे। आज ऐसा नहीं हो सकता है। किसी जमाने में, किसी वक्त में, उनके धर्म में, उनकी शरैयत में ऐसा होगा। आज जमाने के साथ-साथ इस तबके के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिये। यह औरतों की आजादी और स्टेटस का सवाल है। जो असभ्य मुल्क होते हैं वहीं इस प्रकार के असभ्य चलन चलते हैं। हमारा कानून भी कहता है कि सब के लिए एक प्रकार का कानून बनना चाहिये। जब इसी मुल्क में एक तबके की औरतें एक तरह का स्टेटस इंज्वाय कर रही हैं और घर की मालिकिन बन कर रहती हैं, तो फिर दूसरे तबके के लोगों को इस तरह की छूट क्यों दी जा रही

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत]
है कि एक-एक घर में तीन तीन, चार-चार पत्नियां एक साथ रहती हैं।

इसलिए इस विधेयक का मैं कई तरह से समर्थन करती हूं। एक औरत की नजर से खास कर के मैं सोचती हूं कि इस तरह का कानून बनाया जाय। वैसे बेहतर यह होगा कि जो इस तबके के लोग हैं वे खुद आगे आ कर के कहें कि इस तरह का कानून बनाया जाय। यह मेरा नम्र निवेदन है और मेरी राय है। मैं स्वयं इस विधेयक को अपनी सहमति देती हूं। मैं चाहूंगी कि हमारी करोड़ों बहनों के ऊपर आज इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को बन्द किया जाय।

जब शरैयत की बात आती है तो हम यह भी जानते हैं कि दूसरे जो मुस्लिम मुल्क हैं उनमें कई तरह के सुधार हुये हैं। ईराक में इस तरह का कानून बन गया है, जहां एक व्यक्ति दो औरतों से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। टर्की में भी इस तरह का कानून पहले बनाया गया था। हमारा पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान है जो इस्लामी मुल्क कहा जाता है। कुछ दिन पहले मैंने "इलस्ट्रेटेड वीकली" में एक आर्टिकिल देखा। उसके सम्पादक खुशवन्त सिंह जी ने लिखा है कि वे पाकिस्तान की यात्रा पर गये थे। उन्होंने लिखा है कि वहां दूसरी शादी करना बिलकुल असंभव कर दिया गया है और मुस्लिम औरतों को कानून के अनुसार इस तरह का हक दिया गया है कि वे आसानी से तलाक प्राप्त कर सकती हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि यहां केवल एक तबके में आज भी ऐसी बातें क्यों विद्यमान हैं। मेरी यह राय है कि सामाजिक व्यवस्था में हमारे मुल्क में सारे 55 करोड़ व्यक्तियों के लिए एक सा कानून होना चाहिये और वह हिमालय की कन्दराओं में रहने वाले आदिवासियों से ले कर सुदूर दक्षिण तक प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना चाहिये ताकि सारे देश में पालीगैमी और बाइगैमी को समाप्त किया जा सके।

श्री मान सिंह वर्मा: उपसभापति महोदय, हमारे साथी श्री सेनगुप्त ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि जो परम आवश्यक है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जिस समय बहु-विवाह को वर्जित करने के लिए विधेयक यहां पर आया था, हिन्दू मैरिज ऐक्ट में संशोधन किया गया था, उसी समय वह विधेयक देश के सभी संप्रदायों पर, सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए था। परन्तु हमें यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार कानून बनाते समय उन बातों का ध्यान नहीं रखती जिन को वह अपना मोटो बना कर चलती है। सरकार डंके की चोट पर बार-बार कहती है कि हमारा स्टेट सेकुलर है, हमारा एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और जब कानून बनाने लगती है तो वह धर्म निरपेक्षिता की भावना को भूल जाती है और वह उस भावना को भूल कर इस प्रकार के कानून बनाती है कि जिससे सांप्रदायिकता की प्रगति हो, जिससे सांप्रदायिकता उत्पन्न होती हो। आज इस विधेयक को लाने की आवश्यकता भाई सेन-गुप्त को नहीं पड़ती, यदि उस समय सबके लिए एकसा कानून बन जाता। एक धर्म निरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिकता को सामने रखा जाय, इस भावना को सामने रखा जाय कि किस संप्रदाय का

अपना कानून क्या है तो मैं समझता हूं कि यह उनके अपने ही सिद्धांतों के विरोध में है। जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं, महोदया, यदि हम उस पर्सनल लॉ के पीछे चलेंगे तो बहुसंख्यक आबादी या स्पष्ट रूप से कहूं तो हिन्दुओं में भी अनेक प्रथायें इस प्रकार की थीं कि जो आज के समय में उचित प्रतीत नहीं होतीं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने उल्लेख किया कि यहां अनेक पत्नियों का रिवाज था। कुछ ऐसे भी रिवाज थे कि एक स्त्री अनेक पति रख सकती है, कुछ इस प्रकार के भी रिवाज थे कि मंदिरों में जा कर शराब पी जा सकती है, नंगा हो कर नाच सकते हैं, धर्म की आड में इस प्रकार के कृत्य हुआ करते थे, किन्तु जो समाज जागरुक होता है, जो समाज अपने अस्तित्व को बनाये रखना चाहता है वह इस प्रकार की विकृतियों को समाप्त करने के लिए तत्पर भी रहता है। यह निशानी जागरुकता की है। यही निशानी सभ्यता की है। सभ्य समाज उसी को कहते हैं कि समय को देखते हुए यदि कोई कानून ऐसा प्रतीत होता है कि वह लागू नहीं होना चाहिए तो सभ्य समाज उस को हटा कर उस के स्थान पर दूसरा कानून बनाता है। आज भी इस तरह से कानून बदलते रहते हैं और प्राचीन काल में भी इसी प्रकार से कानून बदलते रहे हैं। उस समय भी ऐसा नहीं है कि कभी समाज ने जो एक कानून बना दिया वह बराबर चलता ही रहे। मनु ने जो सिद्धांत दिये हैं उनमें से अनेक आज ऐसे हैं कि जिन पर हम नहीं चल सकते हैं। जिस प्रकार से चार्वाक के समय में जो सिद्धांत और नियम हमारे देश में लागू हुए आज वह आउट आफ डेट हो गये हैं, आज वे समयोचित नहीं हैं। देखा यह जाता है कि समय को देखते हुए किन बातों की आवश्यकता है। अभी पूर्व वक्ता ने यह कहा कि स्त्री की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए यह सोचा भी नहीं जा सकता कि एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री उस घर में आये।

पुरुष उसको पसन्द कर सकता है अपने स्वार्थ के लिये, अनेक और बातें हो सकती हैं, किन्तु मैं समझता हूं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ कर के संसार में एक भी स्त्री ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस बात को पसन्द करे कि उसके रहते हुये कोई दूसरी स्त्री पत्नी बन कर के उसके घर में आये। यह प्रकृति के विरुद्ध है, स्वभाव के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है और सभ्यता के विरुद्ध है। एक घर में जब दो पत्नियां रहती हैं तो उसमें सुख-समृद्धि हो नहीं सकती, होती भी नहीं है। यहां हमारे मुसलमान भाइयों का ही प्रश्न नहीं है, हमारे हिन्दुओं में भी अभी भी इस प्रकार के विवाह होते हैं कि एक स्त्री के रहते हुये दूसरी स्त्री रख लेते हैं, कोई भी कारण हो, एक स्त्री से बच्चा नहीं हुआ तो समझते हैं कि दूसरी स्त्री से बच्चा हो और अगर दूसरे से भी नहीं हुआ तो तीसरे से शादी कर लेते हैं और तीसरी से भी नहीं होता और ऐसे भी उदाहरण हैं कि तीसरी को जब बच्चा हुआ तो पहली और दूसरी को भी हो गया, तीनों को होने लगा। तो इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो केवल इस नाते से कि बच्चा नहीं होता इसलिये दूसरी स्त्री रख लें यह ठीक नहीं और मैं समझता हूं कि जहां इस प्रकार के उदाहरण हुये हैं वहां थी वह पछताये हैं; क्योंकि वहां पर सुख हो ही नहीं सकता, संभावना वहां आ नहीं सकती, सदभावना वहां आ

[श्री मान सिंह वर्मा]

नहीं सकती। इस कारण से इसके सुधार की दृष्टि से यह परमावश्यक है कि एक स्त्री के रहते हुये दूसरी स्त्री घर में न आ सके। परन्तु, जैसा कि माननीय सेनगुप्त जी ने कहा उनका इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि अब तक जो कानून बने हैं, वह कानून सबके ऊपर लागू नहीं हैं और हमारे ही देश में इस प्रकार के लोग हैं जो कि मजहबी तौर पर एक नहीं बल्कि चार-चार शादियां कर सकते हैं। उनके उदाहरण अभी श्रीमती चूंडावत ने बताये, मुझे भी यह ज्ञात है कि उस वर्ग के अनेक लोग ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि हमारे शरियत में सुधार होना चाहिये, शरियत जो है वह एटर्नल नहीं है, समय को देखते हुये जिन सुधारों की आवश्यकता है वह होने चाहियें। यह अनेक अच्छे-अच्छे मुसलमानों का मत है। किन्तु, एक भी मुसलमान स्त्री ऐसी नहीं मिलेगी जो यह कह सके कि मेरे रहते हुये दूसरी स्त्री घर में आ जाय, लेकिन जबरदस्ती वह लाते हैं, एक नहीं चार चार लाते हैं और जब यह कहा जाता है कि इसको बन्द करना चाहिये तो कहते हैं कि यह हमारे शरियत के खिलाफ है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि शरियत में किसी समय में ऐसी बात रही होगी, किन्तु आज यह मांग है कि यदि इस प्रकार की चीज पर्सनल लॉ में दी हैं तो उनको बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सरकार धर्म-निरपेक्षता की बात तो बहुत करती है, किन्तु कानून बनाते समय वह भूल जाती है और मुझे आज भी संदेह है...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय): रिपीटिशन होता है।

श्री मान सिंह वर्मा: ... कि सरकार मानने वाली नहीं है। रिपीट इसलिये कर रहा हूं कि सरकार के कान खुल जायें, आज भी माननीय मंत्री जी इस बात कर आश्वासन दे सकें कि इसको जैसा कि भाई सेनगुप्त जी ने कहा कि या तो पबलिक ओपीनियन के लिये भेज दें या जो कानून अब तक बन चुके हैं उन कानूनों को सब के ऊपर लागू करें, युनिफार्म लॉ हमारे देश में हो तो उचित होगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी सभ्य पुरुष, कोई भी—चाहे वह मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, हिन्दू हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो—इस बात के लिए कभी नहीं कह सकता है कि एक विवाहिता स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री घर में लायी जाए। तो जब सब इसको मानते हैं और हम समझते हैं कि सोशल रिफार्म्स होने चाहिएं, आज हिन्दू मैजारिटी कम्युनिटी है हमारे देश के अंदर हिन्दू कोड बिल लाया गया, हिन्दुओं की सोसाइटी में सुधार करने के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए गए, तो फिर दूसरे वर्गों के धर्म में, सम्प्रदाय में, यदि किसी प्रकार की विकृतियां हैं तो उसको सुधारने के लिए सरकार क्यों नहीं क़दम उठाती, क्यों घबड़ाती है? क्यों संकोच होता है? सरकार के अंदर एक ही संकोच की बात है कि वह उस वर्ग को नाखुश करना नहीं चाहती, बल्कि किसी तरह वह वर्ग खुश रहे और खुश रह कर हमको अपना वोट दे दे, इस नाते से वह काम करने के लिए सरकार तैयार हो जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह अपीज़मेन्ट की जो पालिसी है इसको दूर करना चाहिए और यदि यह सरकार समझती है कि आवश्यकता इस बात की है कि सोशल रिफार्म्स

किए जाएं, तो सोशल रिफार्म सब का होना चाहिए। जो भी विकृतियां हैं, जो भी ख़राबियां हैं, उनको दूर करने के लिए कानून बनना चाहिए और मैं समझता हूं कि यह विधेयक बड़ा सामयिक है, भाई सेनगुप्त ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यदि वे इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अपनी तरफ से कोई दूसरा विधेयक, कोई दूसरा कानून, बनाएं और इस संबंध में जो कानून अब तक बन चुका है उसको सबके ऊपर लागू करें। इस कुप्रथा को बंद करने का प्रयास होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, हम श्री सेनगुप्त की भावना का समर्थन तो करते हैं, इसलिए कि एक जनतांत्रिक जीवन-प्रणाली में, जनतांत्रिक सामाजिक प्रणाली में, बहु-विवाह का स्थान नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन के जनतांत्रिक ढांचे को सुधारने और वैज्ञानिक ढंग से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी संदर्भ में उन्होंने जो भावना प्रगट की है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन हम उनके विधेयक का विरोध करते हैं। विधेयक का विरोध हम इसलिए करते हैं कि वास्तविकता हमारे देश में यह है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक सम्प्रदाय में सही या ग़लत, यह धारणा बैठी हुई है, फैली हुई है कि बहु-विवाह की प्रथा उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है . . .

श्री मान सिंह वर्मा : केवल भारतवर्ष के मुसलमानों में।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैंने कहा, सही हो या ग़लत।

श्री मान सिंह वर्मा : वह भी कहिए।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आपको उनको मार कर वोट लेना है, हमको उनको बचा कर वोट लेना है, यह बात ज़ाहिर है, इस पर बहस करने की क्या जरूरत है।

श्री प्रेम मनोहर : आप केवल ऊपरी शब्दों से कहते हैं, हम मन से कहते हैं उनके साथ हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मन को देखने की अभी तक दूरबीन नहीं निकली है। तो सभापति महोदया, हमारे देश की यह एक कटु वास्तविकता है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग यह मानते हैं कि बहु-विवाह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और उनके धर्म के क्रिया कलाप के बारे में मैं कोई विशेष ज्ञान नहीं रखता हूं, इसलिए अधिकारपूर्वक नहीं कह सकता हूं, लेकिन जैसा कि श्री सेनगुप्त ने बतलाया, दुनिया के अधिकांश मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में गतिविधि दूसरी तरह की है।

बदकिस्मती यह है कि हमारे देश के भीतरे मुसलमान अल्पसंख्यक लोगों को यह मालूम नहीं है कि इस्लाम को मानने वाले उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से मानने वाले लोग हैं। जो दूसरे देश हैं, हमारे चारों ओर के देश हैं, वे सामाजिक सुधारों को एक वैज्ञानिक दृष्टि से आगे ले जा रहे हैं और इस दिशा

[**श्री योगेन्द्र शर्मा**]

में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर बदकिस्मती यह है कि हमारे यहां धर्म जीवन का एक अंग हैं और इस सन्दर्भ में मैं उन लोगों से सहमति नहीं रखता हूं। चूंकि हमारे देश, हमारा राज्य, सेक्युलरिज्म को एक सिद्धान्त मान चुका है, इसलिए सेक्युलरिज्म में इस चीज के लिए कोई जगह नहीं है। हम समझते हैं ठीक इसके विपरीत कि सेक्युलरिज्म में हर एक को धर्म के सम्बन्ध में पूरी स्वतंत्रता है। जिस तरह से सेक्युलरिज्म हमारा सिद्धान्त है, उसी तरह से इस सिद्धान्त को भी स्वीकार किया गया है कि हमारे देश में जितने लोग बसते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सभी को अपने-अपने धर्म के बारे में स्वतंत्रता है।

यह तो हमारे देश की बात है, लेकिन सोवियत रूस जिस को आप बहुत से लोग एक नास्तिक देश कहते हैं, वहां पर भी संविधान द्वारा हर एक नागरिक को धर्म के बारे में गारन्टी मिली हुई है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : जब सोवियत रूस को एक धार्मिक देश मान लिया गया है, तब वहां का जो धर्म है वह तो कम्युनिज्म ही है और उसका पालन हो रहा है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आपके मुंह से इस तरह की वाणी सुन कर खुशी होती है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर भी धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी है और हमारे देश में भी धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी है।

श्री प्रेम मनोहर : क्या वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता है?

श्री योगेन्द्र शर्मा : है और अगर इस बारे में आपको किसी प्रकार का शक है तो आप उनके संविधान को देख सकते हैं।

श्री मान सिंह वर्मा : आप उनके स्पोक्समैन हैं, इसलिए आपकी बात को मान लेते हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : तो हमारे देश में भी धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी है और धार्मिक स्वतंत्रता और सेक्युलरिज्म परस्पर विरोधी चीज नहीं है बल्कि एक दूसरे के सहायक है: चूंकि हम सेक्युलरिज्म को मानते हैं, इसलिए यदि कोई वर्ग, कोई समुदाय, किसी चीज को धर्म के रूप में ले, तो हमें उसके सेक्युलरिज्म का खंडन नहीं करना चाहिये। उसका खंडन दूसरे आधार पर करना चाहिये।

हमने यह भी निवेदन किया और यह एक कटु वास्तविकता है कि इस चीज को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज करनी है तो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से, जनतांत्रिक दृष्टि से करना चाहिये और इस तरह के सामाजिक सुधारों को धर्म से अलग कर के करना चाहिये। इस तरह का दृष्टिकोण पैदा करके हमें इस तरह के कार्यों को करना चाहिये। खुशी की बात है कि इस तरह का दृष्टिकोण पैदा हो गया है। लेकिन जब तक अल्प संख्यकों में से बहुसंख्यक लोग इस दृष्टिकोण के नहीं हो जाते, इस जगह पर नहीं पहुंचते, तब तक जबरदस्ती किसी के ऊपर कानून लादने से उसकी मन्शा पूरी नहीं होगी। क्योंकि सामाजिक सुधार का जो प्रश्न है, वह ऐसा प्रश्न है कि हमको इस बारे में समाज में

आचरण करना पड़ता है और इस आचरण में एक स्थायी स्फूर्ति होनी चाहिये। हिन्दू समाज, को सुधारने के लिए तब कदम उठाये गये, जब हिन्दू समाज के अन्दर बहुसंख्यक लोगों में इस तरह की भावना पैदा हो गई थी, तभी वह कानून बनना सम्भव हुआ और कानून बन जाने के बाद बहुत से अल्पसंख्यक हैं हिन्दू समाज के भीतर, जो उसके विपरित आचरण कर रहे हैं। उपाध्यक्षा महोदया, तिलक प्रथा को लीजिए, कानून वर्जित है, मगर फिर भी लोग ले रहे हैं। बाल विवाह की प्रथा ले लीजिए, कानून वर्जित है—यह मैं हिन्दू समाज के भीतर की बात कह रहा हूं, लेकिन फिर भी बाल विवाह चल रहा है।

श्री मान सिंह वर्मा: कानून तो बन गया।

श्री योगेन्द्र शर्मा: लेकिन कानून तब बन गया, जब हिन्दू समाज का बहुमत यहां पहुंच गया कि ऐसा होना चाहिए। बदकिस्मती से मुस्लिम समाज के भीतर ऐसा बहुमत नहीं बना है, इसलिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उनके भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जनतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाने की सुविधा सबको विशेष मिले और वह समय जल्द से जल्द आए ताकि इस तरह का कानून बन सके। इसी सिलसिले में मुझे यह भी निवेदन करना है...

श्री मान सिंह वर्मा: उपसभाध्यक्षा महोदया, मैं माननीय शर्मा जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह उनकी बात ठीक है कि किसी पर कोई बात थोपनी नहीं चाहिए, किन्तु समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए, हिन्दुओं की सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जो कानून आज तक सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों को बनाने से पहले क्या हिन्दुओं की कोई ओपीनियन ली गई थी? नहीं ली गई थी। ऐसा समझते थे कि यह कुप्रथा है, इसको दूर करना है और उन्होंने कानून बना दिया। अब आप इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मुसलमानों की ओपीनियन मालूम करनी चाहिए। मैं तो कह सकता हूं कि बहुसंख्यक मुसलमान ऐसे हैं जो इसको पसन्द करेंगे। आज तक हिन्दुओं से नहीं पूछा गया कि यह कानून बनाया जाय या नहीं बनाया जाय। Public opinion was never sought.

श्री योगेन्द्र शर्मा: उपाध्यक्षा महोदया, हमने निवेदन किया कि हिन्दू समाज को सुधारने के बहुत से कानून बने जिनकी हमने चर्चा की और उसके साथ-साथ हमने यह भी कहा कि अभी भी कुछ आदमी उन कानूनों के विपरित आचरण कर रहे हैं, यह दुःख की बात है लेकिन वे कानून बने जब हिन्दू समाज के भीतर बहुमत इस पक्ष में हो गया। अब इस बहुमत के लिए कोई रिफरेंडम या कोई प्लेबिसिट या कोई इस तरह की चीज नहीं हुई, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जो जमात होती हैं, उनमें जो विचार होते हैं, उन्हीं के माध्यम से यह जाना जाता है। अभी हमारे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के जितने भी संगठन हैं और जो अखबार हैं उनको देखने से पता चलता है कि वे तमाम के तमाम इसके खिलाफ हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के भी संगठन हैं, तरह-तरह के विचार रखने वाले संगठन हैं, लेकिन वे अधिकांश इसके खिलाफ हैं। तो यह इस बात को बतलाता है कि अभी बहुमत इस पक्ष में नहीं है। यही मापदंड है जिससे

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

हम कह रहे हैं कि बहुमत अभी पक्ष में नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि जबरदस्ती किसी को स्वर्ग भी नहीं भेजना चाहिए। कहा जाता है कि जबरदस्ती स्वर्ग भेजने से त्रिशंकु बन जाता है। हमारे जनसंघ के भाई लोग त्रिशंकु बनाना चाहते हैं। हम तो त्रिशंकु नहीं बनना चाहते हैं, हम तो इस दुनिया में रहना चाहते हैं, नहीं तो स्वर्ग जाना चाहते हैं और स्वर्ग में भी जबरदस्ती नहीं जाना चाहते। हम वह वातावरण पैदा करना चाहते हैं, वह परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग स्वेच्छा से स्वर्ग जायं और जब स्वेच्छा से स्वर्ग जाने के लिए तैयार होंगे, तब हम जरूर उस कानून का, विधेयक का समर्थन करेंगे, लेकिन अभी उसके लिए वातावरण अनुकूल नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, शैक्षणिक और प्रचारात्मक काम करने की आवश्यकता है ताकि वैज्ञानिक और जनतांत्रिक दृष्टिकोण उस खास सम्प्रदाय के लोगों में आए। जब तक यह चीज नहीं आती तब तक विधेयक के जरिए से यह काम पूरा नहीं हो सकता। समाज सुधार का काम विधेयक से कभी पूरा नहीं होता है। विधेयक बहुमत को कानूनी रूप देने के लिए होता है। बहुमत पूर्वावस्था है। वह बहुमत अभी पैदा नहीं हुआ है। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि सरकार को भी इस दिशा में शैक्षणिक और प्रचारात्मक चीजों को उपलब्ध कराने के लिए ज्यादा ठोस कदम उठाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ, हम सेनगुप्त महोदय की भावना का...

श्री मान सिंह शर्मा: आदर करते हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा: आदर करते हैं लेकिन उनके विधेयक का विरोध करते हैं।

श्री कासिम अली आबिद (आंध्र प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन साहब, आनरेबल मैम्बर मुस्तसीन गुप्ता जी ने अयूब खां का भी नाम लिया। अयूब खां का कानून या उसका कहा हुआ मुसलमानों के लिए कोई मुसलमा नहीं है। इसलिए कि आप जानते हैं, बल्कि आज सारी दुनिया इस बात को मानती है कि मुसलमानों में हिन्दुस्तान के मुसलमानों की हालत या हिन्दुस्तान के मुसलमानों का मजहबी मामला बहुत मुफ़ीद है। इस्लाम के नाम पर तो पाकिस्तान बना, लेकिन इस्लामी कानून पर क्या वह चल रहे हैं? बिलकुल नहीं चल रहे हैं। मैं एक ऐसे तबके का आदमी हूं, अंसार बिरादरी हिन्दुस्तान में जो 4 करोड़ के लगभग, हमारी पूरी बिरादरी ने दो कौमी नजरिये की भी मुखालफत की है। एक मुल्क की तकसीम की भी मुखालफत की है। आज तक भी हमने पाकिस्तान को नहीं माना। लेकिन जब मजहबी मामलात आते हैं तो मजहब को भी हम ताहफुज करना चाहते हैं। हम मजहब पर पाबन्द रह कर मुल्क के सेकुलर निजाम को बरकरार रखना चाहते हैं। भाई सेनगुप्त ने जिस लहजे में बहुत सी मुसलमान महिलायें इसके खिलाफ हैं, इसका हवाला उन्होंने दिया और कहा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की एक कांफ्रेंस हुई जिसमें मतालबा किया गया अनेक शादियों का। लेकिन आप जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि इस्लाम एक फितरी मजहब है। इस्लाम के जितने खबानून हैं वह सब फितरत पर चलते हैं। नमाज पढ़ना हो, हज करना हो या पांच वक्त की नमाज हो, इसी तरह से जितने भी कवानीन हैं उनमें 4 बीवियों की हद तक जो सहूलियत या जो मराद दी गई है वह

मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लाखों में एक भी नहीं है जो दो बीवियां रखता हो, तीन बीवियां रखता हो। मैं तो दावा करता हूं, मेरी पूरी फैमिली में दो बीवी वाला कोई भी नहीं है। चार बीवियां तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन समाज का एक माहौल होता है, जिसमें चार बीवियां भी कोई करता है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो, हाउस की तवज्जह मबजूल कराना चाहता हूं कि आज रातों में क्या हो रहा है। लोग मजबूर हैं, खाने के लिए मजबूर हैं। शहरों में भ्रष्टाचार हो रहा है और ममा-मली सिक्कों की झनकार पर लड़कियों को नंगा नचाया जाता है, क्लबें चलती हैं। पहले इनका सुधार हमको करना चाहिए।

जैसी हमारी सैकुलर गवनमेंट है, उसमें हर मजहब को पूरी मजहब की आजादी, उसका अपने मजहब पर पाबन्द रहने की पूरी आज़ादी दी गई है। तो ऐसी सूरत में, ऐसे मामलात में हुकूमत को जल्द-बाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जैसा हमारे भाई योगेन्द्र शर्मा जी ने कहा, इस मामले को उनके हवाले ही कर देना चाहिए कि वाकई उन लोगों की अक्सरियत है। कई चीजों में उनसे पूछना चाहिए कि क्या लोग इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर दो चार लोग, किराये के टट्टू कहीं महिला कांफ्रेंस के नाम पर, नींद नुमाइश के नाम पर अगर ऐसा करना चाहते हैं तो वह उसका एक शो बताना चाहते हैं। तो उसको मुसलमानों की राय न समझा जाए, बल्कि उसको यह समझा जाए कि वह एक आवाज है। एक दफा पहले भी कांफ्रेंस हुई और वह आवाज दब कर रह गई। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि इस मामले में जल्दबाजी न की जाए। जो हमारी गवनमेंट आज सैक्यूलर गवनमेंट कहलाती है, इसलिए आपको इस पर गौर करने की जरूरत है। इस मसले पर जल्दबादी से काम लेने से मामला बिगड़ जाएगा और दूसरों के हसासत का खयाल रखते हुए भी इस मामले को जरा पब्लिक ओपीनियन के लिए छोड़ देना बेहतर है।

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI YOGENDRA SHARMA) in the Chair.]

इसलिए मैंने जैसा अर्ज किया, यह एक फितरी मजहब है और जो बुराइयां फैलने का माहौल है उस बिना पर चार शादियां करने का अधिकार दिया गया। लेकिन आज हमारे हिन्दुस्तान में बहुत हद तक बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज हैं—आज लोग भी वाकिफ होंगे, जनाब सदर साहब भी वाकिफ होंगे—बहुत सी फैमिलीज है जिनमें दूसरी बीवी को शादी करके लाना मायूस समझा जाता है। वे शादी नहीं करते।

लेकिन इसके बावजूद चूंकि उसके अन्दर परवरिश करने की सलाहियत मौजूद है, मसावी तौर पर सलूक करने की सलाहियत मौजूद है, इसलिए इसकी इजाजत होनी चाहिए। बावजूद हजारों लाखों के एक भी मिसाल आप ऐसी नहीं बता सकते जिसमें ऐसा न होता हो। इसलिए ऐसा कानून लागू करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि जो कानून लागू किया जाता है उसकी खिलाफवर्जी करने के लिए लोग अक्सर बजिद हो जाते हैं। जैसे शुगर पर कंट्रोल होने से उसकी ब्लैकमार्केटिंग होती है, उसी तरह इस पर

[श्री कासिम अली आबिद]

अगर आप कंट्रोल लगायेंगे तो लोग चार शादियां कर के उस कानून की खिलाफ-वर्ज़ी करेंगे। इसलिए मेरी राय है कि इस मामले को अभी रोका जाय और जब माहौल ठीक हो, उस वक्त इसको अवाम की राय जानने के लिए भेजा जाय और उनकी राय ली जाय, वरना वह अकलियाती तबका जो हुकूमत की हिफाज़त का आज मुस्तहक़ है, उसके एहसासात और जज़बात मजरूह होंगे।

इन अल्फाज़ के साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि इससे थोड़ी नर्मी बरती जाय और इसको अभी थोड़ी तूल दी जाय।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो विधेयक आज सदन में उपस्थित है उसका मैं कई कारणों से समर्थन करता हूं। उसका मैं सिर्फ इस लिए समर्थन करना नहीं चाहता कि संविधान के आर्टिकिल 44 में जो डाइरे-क्टिव प्रिंसिपुल है, उसमें एक प्रकार के सिविल कोड की व्यवस्था करने का उल्लेख है। मैं सिर्फ इसलिए भी इसका समर्थन नहीं करना चाहता कि सरकार ने समय-समय पर आश्वासन दिये हैं कि सभी भारतीयों के लिए एक प्रकार का सिविल कोड बनाया जायगा। मैं और भी कई कारणों से इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं।

श्रीमन्, विवाह के बाद पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह विवाह के प्रयोजन पर विचार करे। जहां तक परि-वार चलाने की बात है, परिवार चलाने के पहले जिस स्नेह सूत्र में वे बंधते हैं और वह स्नेह सूत्र में बन्धने की जो प्रक्रिया है, वह पुरुष और पत्नी दोनों के हृदय में उत्पन्न होती है। हमारे इतिहास और परम्परा के अनुसार एक स्त्री जिस पुरुष को एक बार अपने हृदय में स्वीकार कर लेती है उसको जीवन पर्यन्त निभाती है। उसी प्रकार किसी स्त्री से या लड़की से जिस पुरुष को स्नेह मिलता है वह भी चाहता है कि उसका स्नेह जीवनपर्यन्त बना रहे।

बीच में समाज की गडबड़ी से अवांछनीय तत्वों से इसमें आघात उत्पन्न होते हैं और मैं समझता हूं कि किसी समुदाय की रूढिवादिता को, किसी गडबड़ी को दूर करने के लिए ही समाज का और सरकार का गठन होता है। अगर उस गडबड़ी को दूर न किया जाय तो बहुत जगह गडबड़ी ही नहीं होगी, बल्कि और दूसरी बातें भी हो सकती हैं। आज जगह-जगह सुनाई पडता है कि बड़े-बड़े राजनीतिक प्रभावी नौकर-शाही वाले लोग काल गर्ल्स के चक्कर में पडते हैं। बहुत से पुराने रईस वेश्या-लयों की शरण लेते हैं। तो समाज में विकार उत्पन्न होते हैं और उन को हम सामाजिक ढंग से ही रोकते हैं और जब विकार ताक़तवर हो जाता है तो सरकार कानून बना कर उस को रोकती है। विवाह का जो प्रयोजन है वह बतलाता है कि एक पुरुष और एक नारी का संयोग ही परिवार के लिए अच्छा है और संसार के सारे समाजों ने इस को स्वीकार किया है। वैसे जब हम हिन्दू धर्म को देखते हैं तो धर्म और संप्रदाय की जो जो परिभाषायें चली हैं उनमें हिन्दू धर्म के नाम पर अनेक लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में जिसने उसका अध्ययन किया है, जो उसका अनुकरण करने वाले हैं वह इसको देख समझ कर यह माने बिना नहीं रहेगा कि हिन्दू जीवन एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। उसमें जब

जब गडबड़ी आयी है तो उस में सुधार हुआ है और सैकड़ों और हजारों साल से उस में सुधार होते रहे हैं। यह सही है कि एक विवाह के बाद अपवाद के रूप में कहीं-कहीं दूसरे विवाह की बात लागू की गयी है, लेकिन वह दूसरा विवाह जीवन का अंग नहीं, समाज का कोई कानून नहीं, समाज की कोई निश्चित प्रथा नहीं है। इस सन्दर्भ में जब मैं देखता हूं कि इतने बड़े देश में 26 वर्ष की आजादी के बाद भी समाज के एक बहुत बडे वर्ग को अल्पसंख्यक कह कर शोषित किया जाता है और जब कभी उसके बारे में कोई सुधार का काम किया जाता है तो लगता है मानो उस पर कोई पहाड या वज्र गिर पड़ेगा, तो दुःख होता है। ऐसा माना जाता है कि कोई सुधार होने से वह अल्पसंख्यक समाज ही मिट जायगा और जब ऐसी आवाज राज-नीतिज्ञों की ओर से बुलन्द की जाती है तो हमारी सरकारी बैंचें मत के फेर में घबडा-हट में फंस जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश उसका एक नमूना है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस परेशान हो रही है और वह इसलिए परेशान हो रही है कि वहां पर मुस्लिम मत-दाताओं की संख्या बहुत बड़ी है और आज मुसलमान किसी कारण से कांग्रेसी सरकार से सख्त नाराज हैं। सरकार इस बात में लगी हुई है कि कौन सी गतिविधि लगायी जाय, कौन सा ऐसा कार्य किया जाय कि जिससे वह अपने मुसलमान बंधुओं को प्रसन्न कर सके और जिस प्रकार से वह आज तक मुसलमानों के वोट प्राप्त करती रही है, उसी प्रकार से वह आगे भी उन के वोट प्राप्त कर सकें। कोई कारण नहीं था कि उत्तर प्रदेश में आप उस शासन को प्रतिष्ठित न करें कि जिसका वहां बहुमत है, और न ही आप उस शासन को समाप्त ही करते हैं, न वहां पर नये चुनाव कराते हैं। आप वहां किसी भी तरह से समय काटना चाहते हैं और अवसर प्राप्त करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से आप वहां के मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करें। आप ने उनको गवर्नर दिया, एडवाइजर्स दिये। लेकिन उससे भी आपको संतोष नहीं हुआ। हमारे बिहार में भी उसी के अनुकूल आपने मुख्य मंत्री को प्रतिष्ठापित किया, फिर मुख्य सचिव, फिर आई० जी० उसी के अनुसार दिया कि उत्तर प्रदेश के बगल में रहने के कारण बिहार के कार्यकलाप से आप उसको कुछ प्रभावित कर सकें। आप जरा याद करें कि जब-जब ऐसी बात आयी है तब-तब नैतिकतावश सामाजिकतावश आपने स्वीकार किया है कि आप एक प्रकार का सिविल कोड लायेंगे। सचमुच में हम भारतीय हैं, लेकिन यदि हिन्दू समाज अड़ जाता तो शायद आप शारदा ऐक्ट और हिन्दू कोड बिल नहीं ला सकते थे। आपको पता था कि इसका विरोध होगा, लेकिन इस पर मतदान की बात नहीं आयेगी। जैसा कि आज हमारे बन्धु कह रहे थे कि आप इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इसको छेड़िये मत जैसे कि लगता है कि बर्रो का छत्ता हो कि छेड़ने के बाद समूचे के समूचे सरकारी पक्ष को काटने के लिए छत्ते से टूट पड़ेंगे। सचमुच में विचार करने कि कोई बात है तो यह बात है कि एक आदमी एक समय में चार पत्नी रख सकता है या नहीं। अगर आप समझते हों या मुसलमान भाई यह समझते हों कि चार पत्नियां रखना सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टि-कोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और राजनैतिक दृष्टिकोण से ठीक है तो उसकी इन शब्दों के साथ, इन तर्कों के

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

साथ वकालत करनी चाहिये वर्ना सिर्फ छेड़खानी दिखा कर, डरा कर, इस बात की वकालत नहीं करनी चाहिये। यह कहना कहां तक ठीक है कि किसी जगह पर अगर मुस्लिम महिलाओं ने इस बहु-विवाह के विरुद्ध जलूस निकाला, सभायें कीं तो यह उन लोगों ने किया और वह लोग भी शायद किसी के बहकाने में आ गये या किसी के पैसा खर्च करने पर किया। समाज में सुधार का काम समाज का बहुत बड़ा वर्ग शुरू नहीं करता, समाज में सुधार का काम कुछ विद्वान, कुछ समाजसेवी, कुछ समाज सुधारक, जो अग्रसोची हैं, जो दूर तक देखते हैं, वही लेते हैं। पहले उनका विरोध होता है लेकिन धीरे-धीरे समाज उसको ग्रहण करता है। सरकार ने 26 वर्ष से इस बात को अनुभव किया है कि किसी को चार-चार शादियों के करने की इजाज़त नहीं दी जाय, लेकिन आप एकता की बात करते हैं, एकनिष्ठा की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, समाजवाद और समानवाद की बात करते हैं, लेकिन समाज में मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ विवाह की बात है उसमें समानता लाने का कोई प्रयास नहीं कर सकते, दिल में सोच लेने के बाद भी, मुहं से उसका उच्चारण करने के बाद भी आप उस ओर अगर एक कदम आगे नहीं बढा सकते तो फिर कैसे भरोसा किया जाय कि आप साहस करेंगे उचित कदम उठाने के लिये।

श्रीमन्, परिवार नियोजन चलाया जाता है। किसलिये? इसलिये कि आबादी बहुत बढ़ रही है, आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, अन्न की कमी है, जिस प्रकार परिवार में वृद्धि हो रही है उस हिसाब से अन्न की पैदावार नहीं हो रही है, इसलिये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों आने वाले भारत के भविष्य को, भारत के भाग्य-निर्माता को या तो पेट में आने से पहले रोकें या आ जाय तब रोकें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह परिवार नियोजन चार-चार विवाह के सामने मखौल नहीं है क्या? एक तरफ आप कहते हैं कि तुम चार विवाह करते जाओ और दूसरी तरफ परिवार नियोजन का ढिंढोरा पीटो, चारों तरफ बड़े-बड़े चित्रपट लगा कर के, साइन-बोर्ड लगा कर के प्रचार करो।

श्रीमन्, इससे दो तत्व और भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकट होते हैं। जमा करें मुझे मुसलमान भाई। पाकिस्तान का निर्माण सिन्ध और फ्रन्टियर के मुसलमानों ने नहीं किया था। सिन्धी में एक बार कांग्रेस का बहुमत था और फ्रन्टियर में भी सीमान्त गांधी उसके प्रबल विरोधी थे। अगर पाकिस्तान का सृजन करने में किसी का हाथ रहा है तो स्टेट में हैदराबाद का रहा है, विश्वविद्यालय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का और प्रदेशों में बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का रहा है। उस समय के आंकड़े उठा कर के देखें। मतनदान के आंकड़े उठा उठा कर के देखें। आप देखेंगे कि उस बिचार को देने वाले और कांग्रेस को घबड़ाहट में डालने वाले आज यहां उपस्थित हैं, हो सकता लीग से परिवर्तन कर, आपकी टोपी पहिन कर आपके बीच घुसपैठ कर गये हों।

श्री ए० जी० कुलकर्णी (महाराष्ट्र) आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हैं क्या?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मैं आपके द्वारा दो बातें उनको कहना चाहता हूं। एक तो यह कि आप साहस करके, दिल से जो बात आप करना चाहते हैं उसको करने की हिम्मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जो समता की बात करते हैं वह मुसलमान इतर महिलाओं को ही नहीं उनको भी मिले। एक बार फैसला होगा, बाद में बराबर के लिए हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था, अगर आप परिवार नियोजन चाहते हैं तो उस प्रयोजन के लिए अगर आप इस विधेयक को लागू नहीं करते हैं, तो भविष्य में क्षेत्रीय असंतुलन की बात आएगी। आपने केरल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनायी। आपने कहा कि केरल की जो मुस्लिम लीग है वह पुरानी मुस्लिम लीग नहीं है जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया। लेकिन जो मुस्लिम लीग के प्रधान है वे कहते हैं वही मुस्लिम लीग है। इसी भारतवर्ष में वंदे मातरम् का विरोध, इसी भारतवर्ष में राष्ट्र-निर्माता पं० जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पढ़ने में विरोध उस लीग के द्वारा हुआ और विरोध को आपने स्वीकार किया। अगर इसी तरह से आप चलते रहेंगे तो राष्ट्र को फिर खण्डित करने की ओर पैर बढ़ाएंगे। उसको एकता की ओर एक सुदृढ़ राष्ट्र की निष्ठा की भावना बढ़ाने में आपका सहयोग नहीं होगा। इसलिए जब तक आप अपनी दृढ़ता का परिचय नहीं देते हैं, तब तक यह काम आपसे आसानी से नहीं होगा।

श्रीमन्, बड़े-बड़े नवाब चले गए जिनके हरम में सैकड़ों नारियां रहती थीं। उनकी सारी शक्ति सरकार के सामने तिनके की तरह खत्म हो गई। लेकिन चार शादी की नवाबी सरकार नहीं खत्म कर पा रही है—पता नहीं क्यों ? आज तो अपने देश में शासन का सूत्र अपनी महिला प्रधान मंत्री के हाथ में है और महिलाओं के कष्ट का निवारण अगर महिला प्रधान मंत्री के शासन-काल में नहीं हुआ तो फिर पुरुष तो चाहेगा कि यह प्रथा कायम रहे—उनका पुरुषत्व शायद इसी पर आधारित रहेगा। तो मैं आज मंत्री महोदय को कहूंगा कि आप अपना खयाल छोड़ कर, जिसके नेतृत्व में शासन की बागडोर चला रहे हैं, उसके ऊपर कुछ खयाल कीजिए। आज आवश्यक है कि आप एक समान कोड बिल का सिर्फ आश्वासन मात्र ही नहीं दें कि हम इस बारे में आश्वासन देना चाहते हैं—जिस प्रकार के और आश्वासन भी देते आए हैं—बल्कि आप एक निश्चित तिथि बताइए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मिस्टर सेनगुप्त के विधेयक को स्वीकार करने के लिए आगे न बढ़ेंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह बड़ी प्रसन्नता की बात होगी, सभी का समर्थन भी मिलेगा और सोचा जाएगा सचमुच में आपने अन्न की महंगी नहीं मिटायी, बेकारी नहीं मिटाई, भ्रष्टाचार नहीं मिटाया, लेकिन समाज का एक भ्रष्टाचार मिटाने में एक कदम आगे बढ़ा कर आपने दिखलाया है। अगर आपको थोड़ा सा सबूत देखना हो कि क्षेत्रीय असंतुलन का क्या रूप हिन्दुस्तान में उभर रहा है तो आप लद्दाख की ओर देखिए। लद्दाख में लामाओं की संख्या अधिक है, मुस्लिम भी वहां हैं। लद्दाखी लामा एक शादी करता है, मुस्लिम चार शादियां करता है। उसी लद्दाख में क्षेत्रीय असंतुलन कायम करते जा रहे हैं और लामाओं में एक विरोध की भावना प्रगट हो रही है। यह प्रत्यक्ष चीज वहां पर प्रगट हुई है और अगर इसी प्रकार की प्रथा चलती

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]
रही तो वह समय दूर नहीं कि यह असंतुलन देश के अन्य भागों में उभरता हुआ दिखायी देगा।

एक बात जरूर है और जिसको हमारे शर्मा जी ने भी कहा है कि हमें कानून लाद कर किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिये। हमें पहिले उसकी भावना और उसके विचारों में सुधार करना चाहियें। यह बात ठीक है; क्योंकि सिर्फ कानून लाद देने से यह प्रथा बिलकुल समाप्त नहीं होगी। जिस तरह से शारदा ऐक्ट का हाल हुआ, हिन्दू कोड बिल का हाल हुआ, उसी तरह से इस कानून का भी हाल होगा। लेकिन जब आप इसको कानूनी रूप दे देंगे तो धीरे-धीरे उन महिलाओं में भी जागृति आयेगी जो इसका विरोध करना चाहती है। दूसरी तरफ जो इसका समर्थन करना चाहती है, उन्हें भी इस कानून के शिकंजे में फंसने का डर रहेगा। आपने यह कानून बना दिया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी दो शादी नहीं कर सकता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं कि पटना में एक डाक्टर थे . . .

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री योगेन्द्र शर्मा) : यादव जी, अभी कुछ और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : तो मैं यह कह रहा था कि उस डाक्टर को दूसरी शादी करने की नौबत आ गई। उसने मुसलमान धर्म अपना लिया और इस तरह से दूसरी शादी कर ली। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आपने उसको दूसरी शादी करने से रोक लिया? जब वह मुसलमान धर्म स्वीकार करके दूसरी और तीसरी शादी कर सकता है, तो आप इस चीज को नहीं रोक सकते। यह जो क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या है, जो समान अधिकार की बात है, इसको किसी न किसी रूप से खत्म करना चाहिये। इसीलिए हमारे सेन साहब ने यह बिल रखा है। मैं तो मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इसे स्वीकार कर लें; क्योंकि उन्हें इससे सुविधा रहेगी और इससे एक महीला प्रधान मंत्री के काल का एक सबूत होगा कि उन्होंने महिलाओं के लिए कारगर कदम उठाये और इस देश में जो एक सामाजिक कोढ़ और एक सामाजिक ताड़ना थी, उसको दूर करने में उन्होंने हिम्मत के साथ कदम उठाया।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, यह विधेयक ऐसा है कि इसका विरोध करना मेरे लिए बहुत कठिन है। चूंकि यह विधेयक मेरी अपनी भावना के बिलकुल अनुकूल है, परन्तु रास्ते में एक राजनीतिक समस्या खड़ी हो जाती है। जनतंत्र के माने यह होते हैं कि पार्लियामेंट किसी भी समुदाय के ऊपर कोई कानून थोप नहीं सकती है। जनतंत्र आदर्श तब होता है जब जनता किसी परम्परा को, किसी अधिकार को अपना ले और फिर उस परम्परा को कानून का शक्ल देकर उसमें मुहर लगा दे। इस तरह से पार्लियामेंट जो है, वह जनता की भावना के ऊपर मुहर लगा देती है, और कानून बना देती है। इस तरह से जनता के जो रिवाज हैं उन रिवाजों को वह पक्का कर देती है। जिस समय पोलीगेमी रोकने के लिए कानून बनाया गया था, उस समय मैंने माना कि मुसलमानों को इसमें छूट है, लेकिन 100 फीसदी हिन्दुओं के अन्दर यह भावना थी कि इसके होने में कोई कठिनाई नहीं है।

मेरा खयाल यह है कि आप जो यह कानून बना रहे है इसमें हिन्दुओं के हित का कोई सवाल ही नहीं है, यह तो राष्ट्र के हित में कानून है और मुसलमानों के हित में भी है। लेकिन इस कानून को बजाय सेनगुप्त साहब के रखने के, अगर फखरुद्दीन अली अहमद रखते या प्रो० नूरुल हसन रखते तो बहुत अच्छा होता। वे चूंकि मुसलमान मेम्बर हैं, वे सब मुसलमानों की मीटिंग बुलाते और उनके सामने इस तरह का कानून रखते कि इस तरह का जो रिवाज है वह एक गलत रिवाज है। इस चीज का सारे देश में प्रचार करते कि यह जो रिवाज है वह एक गलत रिवाज है। दूसरे मुसलमान मुल्कों ने इस रिवाज को तोड़ दिया है, हटा दिया है, इसलिए आप भी इस रिवाज को तोड़ने के लिए कानून बना दो। इस चीज के लिए जगह-जगह जल्से होते और सारे देश भर में इसके लिए एक एटमाशफियर बनाया जाता और इसके बाद पार्लियामेंट में कानून लाया जाता। अगर इस तरह की बात करते तो वह ज्यादा उचित होता। अगर हम इस तरह का कानून बना देते हैं तो मुसलमान जो एक तरह से अल्पसंख्यक हैं, उनके दिल में इस तरह का शक पैदा होगा। इससे हिन्दुस्तान के अन्दर अमन नहीं होगा और हिन्दुस्तान को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि यह कानून मुसलमानों के बीच में सर्कुलेट कर दिया जाय, मुसलमानों की राय इकट्ठी की जाय और उनके अन्दर एक आबोहवा पैदा कर दी जाय ताकि वे सब लोग, अकेली उनकी स्त्रियां ही नहीं, स्त्री और पुरुष सब मिल कर इसको सपोर्ट करें। उसके बाद इसका पास करना ज्यादा अच्छा होगा। मुल्क के हित के लिए यह आवश्यक है कि हमारी आपस की यूनिटी छोटी-छोटी बातों से खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम कानून तो पास कर सकते हैं, पर पार्लियामेंट को जरा समझदारी बरतनी पड़ेगी ताकि कानून ऐसा न हो जिससे देश के अन्दर गलत-फहमियां आपस में पैदा हों। जनता की एकता नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए मेरा अपना खयाल यह है कि--वैसे अगर देखा जाय तो मुसलमानों को चार शादियां करने का अधिकार है, लेकिन मेरी जानकारी मुसलमानों से है और 100--125 में से मुश्किल से तीन-चार होंगे, जिन्होंने एक से ज्यादा शादी की हो, ज्यादातर एक ही शादी करते हैं और ये तीन-चार बुजुर्ग ही होंगे, नौजवान लड़के तो दो शादियां नहीं करते हैं--इसको मुसलमानों के बीच उनकी राय के लिए सर्कुलेट किया जाय तो मुसलमान लोग इसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए और मुसलमानों का सपोर्ट लेने का इन्तजाम करना चाहिए।

मैं अपनी बहिन चूंड़ावत जी के जज़बात से सहमत हूं, लेकिन हम अकेले स्त्रियों का खयाल करें, पुरुषों का खयाल न करें, यह ठीक नहीं है। हमको स्त्री पुरुष सबके साथ न्याय करना चाहिए। मैं एक बार अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में गया था डिस्ट्रिक्ट माजिस्ट्रेट के साथ एक कमेटी में रिफार्म करने के लिए। हमारे यहां पोलिएन्ड्री का रिवाज है, बड़े भाई की शादी हो जाती है और जितने छोटे भाई होते हैं वे सब आटोमेटिकली उसी स्त्री के हस्बेंड हो जाते हैं। उसमें कोई शादी की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़े भाई की शादी होती है और उसके छोटे भाई सब उस स्त्री के पति माने जाते हैं। मैं देहरादून के उस पहाड़ी इलाके में गया तो देखता

[श्री महावीर त्यागी]

हूं कि एक लड़की एक बच्चे को खिला रही है। मैंने उससे पूछा कि यह तेरा बेटा है। उसने मुझे आंख निकाल कर गालियां दीं बदतमीज कैसी बात करता है। मेरे साथ अंग्रेज कलेक्टर भी था। उसने बच्चे को चूमकर कहा कि यह मेरा सबसे छोटा खाविन्द है यानी वह बच्चा उसकी सास के हुए था और इसलिए वह उसका खाविन्द हुआ और वह अपने खाविन्द को खिला रही थी। मैंने सोचा कि उसका बच्चा होगा, वह नाराज हो गई। वहां पर यह रिवाज है। रिवाज को जबरदस्ती तोड़ने का काम ठीक नहीं है। उनके अन्दर रिफार्म करना चाहिए। हमारे यहां हिन्दुओं में सती का रिवाज था, उसका रिफार्म किया गया, उसके बाद कानून बना।

श्री प्रेम मनोहर : त्यागी जी, पहले कानून बना, उसके बाद रिफार्म हुआ।

श्री महावीर त्यागी : कानून बनाने में जरा देर करनी चाहिए क्योंकि...

श्री प्रेम मनोहर : त्यागी जी, आप फरमा रहे हैं कि सौ में से तीन ऐसे होते होंगे जो एक से अधिक शादी करते होंगे। फिर क्या आपत्ति है जब आप स्वयं कर रहे हैं कि आज के नौजवान मुसलमान कोई एक से ज्यादा शादी नहीं करते ?

श्री महावीर त्यागी : इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि मुसलमानों में इस बात को फैलाया जाय तो वे कसरत राय से उसको सपोर्ट करेंगे। उनका सपोर्ट ले लेना चाहिए पेश्तर इसके कि हम इसको पास कर दें। अगर हम बिना उनके सपोर्ट के पास कर दें तो गलतफहमियां लोग पैदा करना शुरू करेंगे। तो झगड़ालू लोगों को दबाने का तरीका यह है कि उनकी कसरत राय को अपने साथ ले लेना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस कानून के कारण हिन्दुस्तान के अन्दर विप्लव हो। मैं आपसे सहमत हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई कानून हिन्दुओं पर लागू हो और मुसलमानों पर लागू न हो यह सेक्युलरिजम के खिलाफ है, जो कानून बने वह सब पर लागू होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन अब सवाल यह है कि हमको एक राजनैतिक ढंग से चलना चाहिए। क्यों न ऐसा ढंग किया जाय जिससे मुसलमानों को सन्तोष हो जाय और अगर 80 फीसदी मुसलमान कहते हैं कि यह रिफार्म अच्छी है, हम इसको मंजूर करते हैं तो फिर उसके बाद कानून बना दो। थोड़ी देर रुके रहने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अभी इस कानून को रोक दिया जाय और मुसलमानों के अन्दर प्रचार करके उनकी राय ली जाय और जब उनकी सामूहिक राय इसके पक्ष में हो तब कानून बनाना ठीक होगा।

SHRl BRAHMANANDA PANDA (Orissa): Sir, I will take only live minutes.

SOME HON. MEMBERS ; No, you lake 15 miflutes.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Not necessary.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: li is necessary.

SHRl BRAHMANANDA PANDA: Sir. 1 oppose this Bill.

\N HON. MEMBER : You must.

SHRl BRAHMANANDA PANDA: My reasons an- thi re.

SHRI MAHAVIR TYAGI: 1 hope vnu are nol *3* Muslim.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I am an Indian. Thai is the best: that is what i* needed in India today.

SHRI MAHAVIR TYAGI: From your appearance it looks . . .

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Vou call me anything so long as you do *tint* deprive me of my Indian citizenship.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI YOGENDRA SHARMA): You proceed, Mr. Panda.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Sir, I oppose the Bill because the thing that we are discussing is more a social question. \l\ friend, Mr. Yadav tried to make a mountain of a molehill but ultimately when he ended the molehill remained a molehill. There are certain questions, certain problems in life like love, marriage and it is better we did not interfere with them, with the type of legislation contemplated by my friend, Mr. Sen Gupta. There is a saying in Orissa. About marriage they say *"Jo Dilika laddoo khaya zoo pnstaya, jo nahin khaya wo bki pastaya".* One who is married thinks it is *Dilli ka laddoo* and one who is not married also thinks it is *Dillika laddoo.*

Even in the Muslim community, any reformation that came, it came from within the community. We had our Dayananda Naraswati, we had our Raja Rammohan Roy—who abolished *Sati*—Iswar Chandra Vidyasagar—who advocated widow remarriage; we find a galaxv of such reformers. It comes from the society itself and that is bound to come in the Muslim society also. I ask one question: Can Mr. Tyagi or Mr. Yadav tell me the percentage of the Muslims who have more than one wife?

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: I said, let this Bill be circulated for the opinion of the Muslims.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I do no! uant this Bill to be circulated because U feel it is unnecessary. We need not dis-i uss it here. So, if any reformation has to come, it must come from within that society. Any amount of legislation that vou might make will not help and will not change it. You know Sir, better than 1 do that every level in the society is conditioned by economics. Supposing India comes to a certain standard of economic

development, social behaviour is bound to change. Now we have not much of differentiation between ladies and gents. A lady has one vote and a gent lias one vote. Women are getting educated and so also our men. So also, in the Muslim community which believes in its Personal Laws —where it is not allowed and where it is possible now—there will come a certain stage when they will also not like it. After all, you have to depend on social evolution for it. Nawabs used to have harems, Maharajas used to have harems but now. in the modern society the personal family is the unit. It is not a question of a joint family or anything like that. So. when they think of building up a modern home, it is conditioned on our economics. The husband works, the wife works, and the more the working members in the family, the more happily they live.

Mr. Tyagi, years ago I met a tribal landlord who had a dozen wives. During an election campaign he met us; we were his guests. I asked him why he married 12 women. He said: "I am sitting like a monarch. All the twelve of them go into the field and work and I am enjoing the benefits." Bui I do not sav that vou should take it as an example.

SHRI MAHAVIR TYAGI: But then you got 13 votes from that familv.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: We got the votes all right. We would have got their votes anyway because the entire clan was for the Congress. So, what I mean to say is . . .

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: After your joining the Congress?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Yes. In spirit I am a Congressman and I understand Congressism better than you.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Very good.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Because I have no intellectual opportunism; anybody knowing me for the last five years in this House would have known that.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: For some time you were out of the Congress and have now again gone back to Congress. Perhaps it was for reasons of convenience.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : You are misinterpreting history. I was one of the founder members of that party in Orissa to stop the vagaries. Shri Biju Patnaik of whom you are a great admirer. I am a straight man and I go straight.

Now, I do not want that legislation should be brought in for this or as my friend suggested it should be circulated among the Muslim families. I again repeat that a man taking a second wife after the death of his first wife is guilty because there is the question of sentiments. I suppose Mr. Tyagi and myself are in the same position; both of us remain without a woman. Now, you must have said certain sentimental things to your wife during the first honeymoon. Are you going to repeat those things a second time to another woman? No; you cannot. After all sentiments have to be respected. Any man living with one woman, if that woman dies, can never think of a second wife. Even in Muslim families, if you do not give it a religious colour, there are enlightened people who feel that this thing should go but it should not be given such a colour or such a twisl I hat you bring this in the form of a legislation, vou put something in it and s;i\ that it is binding on all. This is a social problem, a social question. And sentiments will gradually grow against when we became more dynamic, when society becomes more modern when the economic standard of the cottn-11\ goes up. Ultimately it is a question of economics. Now in certain sections amongst the Hindus marrying the maternal uncle's (laughter is a must. Why? That is because the property from this family-should not go to a third family. It should remain inside the same family. That is the idea behind it. These are all feudal remnants and they are gradually passing out as many things have passed out. Many unnecessary customs we have done away with; many unnecessary traditions have gone. So gradually when society evolves, when people get more and more of education and other enlightening facilities, when they see light spreading everywhere they will also see the necessity for such a change. I have discussed this with many o£ my Muslim friends. I have Muslim friends from every section of the society, from the highest to the lowest and I have not come across anybody who says that marrying more than one wife is good. In society as it is constituted now, certainly we have to take certain things for granted for the time being until some sort of reformation comes about. And it will come about because when a society grows, when an individual gets more enlightenment when he becomes conscious of himself and the society and also the environments, natural-lv these things that are detrimental to his growth as an individual and as a family will certainly be given up. So there can be no question of any legislation now and I hope my friend will see the sense of it and withdraw his Bill. I will wait for thai day when Muslim opinion and other opinion builds up for this. I have seen Hindu families also where a man who is married also keep a mistress. *(Interruptions)* Even after marriage I have known people who keep mistresses. Do you want to legalise that also? It is a question of human character and human character, as I said, is a very complicated thing. Our first ambition in India today should be to see thai economically we develop more and more, we become more modern and we build up such a society where such anomalies will not be there, where such unnamed things will gradually disappear automatically. Until then we must see that enlightened public opinion grows wherever Bitch l hings are prevalent. Even in Hindu families suppose vou do not get a son, even today the man marries a second wife. You must have read Premchand's stories. II is not that Hindus are all good and the others are all bad. We cannot generalise like I hat. Therefore, in mv humble opinion we do not need anv legislation now. So, there is no question of circulating it. 1 would appeal to im friend that he should see that we do not disturb the society now and create troubles for ourselves. By 'ourselves' I do not mean the Congress. I mean the entire Indian sot tety.

SHRI l'REM MANOHAR: This is onl\ J :i vote-catching device.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: We have been getting votes for the last twenty-five years and we will continue to be here. Do not worry about that . . .

SHRI PREM MANOHAR: Let the country go to hell and you continue there.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: The country is where it is. Either you go to hell or we go to hell. The rivers flow. The mountains are there. Nobody is going to hell with the country.

SHRI MAHAVIR TYAGI: I may inform you that they are counting on the female votes of Muslims.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: My hats off to them. Muslim women are well informed and they will definitely vote for us. They will never vote for Jan Sangh. I am so sure of that. So, in winding up I want this Bill to be withdrawn. I appeal to the good sense of my friend, Mr. D. L. Sen Gupta, to withdraw this Bill and see if he can help Muslim masses practically. If he feels that this anomaly should go, he should initiate this discussion amongst his Muslim friends and also among Hindu friends where thev have taken more than one wife. We should build *up* a modern society.

SHRI DW1JENDRALAL SEN GUPTA. I *am* initiating that discussion just now with the Minister. The discussion is continuing. Let it continue even in the next session.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: It is not a question of discussion in the House. I want tlie discussion to go on in the wider world. When I say that, do not think that if a Hindu has got more than one wife it is good. It is bad. It must come in a different form, not in the form of legislation. This is all what 1 have to say.

श्री मान सिंह वर्मा : आप में हिम्मत नहीं है कि आप सच बात कह सकें। आप गलत बात कह कर वोट लेना चाहते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI YOGEN SHARMA): I think he will reply next lime.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. Appropriation (No. 3) Bill, 1973

II. The Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Bill, 1973.

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose herewith the Appropriation (No. 3) Bill, 1973, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 17th August, 1973.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in I.ok Sabha, I am directed to enclose herewith the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Bill, 1973, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 16th August, 1973".

Sir, I beg to lay a copy of each of the Bills on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl YOGEN DRA SHARMA): The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 20th August, 1973.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past four of th< clock till eleven of the clock on Moudav, the 20th August, 1973.

MGIPCBE—S7—7 RSS/ND/73—7-12-73—595